प्रकाशन योजना

कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/संपर्क/2000/8806

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2000

प्रति,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
मंत्रालय, भोपाल.

विषयः— आदिवासी क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित प्रचार-प्रसार हेतु न्यूज लेटर का प्रकाशन

आदिवासी क्षेत्रों में शासन की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए वर्तमान में औपचारिक तरीकों से जो भी कार्य हो रहा है, उसके अलावा इस प्रयोजन के लिए आदिवासी बोलियों की मदद लेकर आम आदिवासियों तक, जो कम पढ़े-लिखे हैं या अनपढ़ हैं, शासकीय योजनाओं और उसके लाभ लेने की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी पहुँचाने की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है. इस माध्यम का उपयोग करने से स्थानीय तंत्र और आदिवासियों के बीच की दूरी भी कम करने में मदद मिलेगी. इस प्रयोजन के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग ने एक पाक्षिक न्यूज लेटर हिन्दी और प्रमुख पांच आदिवासी बोलियों में निकालने का निर्णय लिया है. न्यूज लेटर की रूपरेखा संलग्न है.

2. पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में आदिवासी उपयोजना कार्यक्रम लागू होने के पश्चात से आदिवासियों के विकास और कल्याण के लिए राज्य शासन के प्रायः सभी विकास विभाग समान रूप से जवाबदार बन चुके हैं और वे इस हेतु अपने स्तर पर व्यक्तिमूलक तथा समुदायमूलक योजनाओं का संचालन वर्तमान में उपयोजना मद अंतर्गत प्राप्त धनराशि से कर रहे हैं. अतएव, आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित होने वाले न्यूज लेटर में योजनाओं/सुविधाओं के बारे में सूचनात्मक एवं उपलब्धिमूलक वह सब जानकारी प्रकाशित करने का विचार है, जो आदिवासियों के हित संवर्द्धन से संबंधित है, फिर विभाग चाहे कोई भी क्यों न हो. इस प्रयोजन के लिये विभागों के अधीनस्थ राज्य एवं जिला स्तरीय कार्यालयों से नियमित रूप से आयुक्त, आदिवासी विकास के कार्यालय को उपरोक्त प्रकार की जानकारी मिलना आवश्यक है.

3. कृपया विभाग के अधीनस्थ विभागाध्यक्षों, उपक्रमों के प्रबंध संचालकों एवं विभाग के जिलाधिकारियों को संलग्न रूपरेखा के अनुसार सामग्री की पूर्ति सुनिश्चित करने बाबत अपने स्तर से निर्देश जारी करने की कृपा करें.

संलग्नः न्यूज लेटर की रूपरेखा.

हस्ता./-
(उदय कुमार वर्मा)
आयुक्त,
आदिवासी विकास मध्यप्रदेश.

कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

परिपत्र

क्रमांक/संपर्क/2000/8809 भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2000

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश.
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत, मध्यप्रदेश.
3. समस्त परियोजना प्रशासक,
   एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, म. प्र.
4. समस्त सहायक आयुक्त,
   आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश.
5. समस्त जिला संयोजक,
   आदिम जाति कल्याण, मध्यप्रदेश.

विषयः— विभागीय न्यूज लेटर 'संपर्क' का प्रकाशन

आदिवासी विकास के संबंध में शासन की योजनाओं, सुविधाओं और उपलब्धियों आदि की जानकारी आदिवासियों तक पहुँचाने के लिए जनसंपर्क विभाग आदि के द्वारा औपचारिक प्रयास चल रहे हैं, लेकिन यह अनुभव किया जा रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी परिणाममूलक प्रचार हेतु मुद्रित प्रचार साहित्य की अधिक उपयोगिता सिद्ध नहीं हो पायी है. ऐसी स्थिति में काफी विचार-विमर्श के पश्चात् विभाग ने एक न्यूज लेटर निकालने का निर्णय लिया है, जिसमें कुछ पृष्ठ आदिवासी बोलियों की सामग्री के होंगे. इस हेतु प्रदेश की पांच प्रमुख बोलियों, यथा-हल्बी, गोंडी, कुडुख, भीली और कोरकू में अनुवाद की व्यवस्था भी इस कार्यालय द्वारा की जा रही है. अनुवाद ऐसा होगा, जो पढ़कर सुनाने पर आदिवासियों को आसानी से समझ में आ सकेगा और उसके जरिये परियोजनाओं आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर उनके लाभ उठाने के लिए प्रेरित होंगे.

2. पाक्षिक न्यूज लेटर की रूपरेखा संलग्न प्रेषित है. रूपरेखा से स्पष्ट होगा कि प्रचार-प्रसार एवं प्रकाशन की दिशा में विभाग की यह एक महत्वाकांक्षी पहल होगी, जिसके माध्यम से राज्य स्तर से लेकर विकास खण्ड स्तर तक सतत संवाद की स्थिति का निर्माण भी होगा. वर्तमान में इस प्रकार के संवाद के अभाव के कारण विभाग के कई महत्वपूर्ण और उपयोगी कार्यक्रमों/प्रयासों को वैसी सफलता नहीं मिल पाती है, जो अपेक्षित थी. यह अनुभव रहा है कि नीतियां और कार्यक्रमों में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों की जानकारी तथा राज्य स्तर से जारी होने वाले आदेश, निर्देश एवं परिपत्र आदि उनके मूल रूप से क्षेत्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों तक न पहुँच पाने से क्रियान्वयन में कठिनाई होती है. इस कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसी जानकारी भी न्यूज लेटर के जरिये सर्व संबंधित तक हर महीने पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित होगी. साथ ही आदिवासी विकास के विभिन्न क्षेत्रों में शासन की उपलब्धियों और विभाग के उल्लेखनीय कार्यों को भी प्रकाशित कर प्रचारित किया जायेगा. विभाग द्वारा आदिवासी शिक्षा के सुगठन और गुणात्मक सुधार की दिशा में जो विशेष प्रयास किये जा रहे हैं, उनके बारे में भी जानकारी न्यूज लेटर में रहेगी. पढ़े-लिखे आदिवासी युवावर्ग के लिये रोजगार संवर्द्धन संबंधी सूचनात्मक मार्गदर्शनात्मक जानकारी न्यूज लेटर में शामिल की जायेगी.

3. न्यूज लेटर के प्रकाशन को उपयोगी बनाने के लिए आपकी ओर से निम्नांकित प्रकार के सहयोग की अपेक्षा है :—

(1) संलग्न रूपरेखा के अनुसार प्रकाशन सामग्री इस कार्यालय को जिला स्तरीय कार्यालयों से सतत रूप से उपलब्ध होना चाहिए. विभाग का प्रयास रहेगा कि प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर आदिवासी हित में जो भी हो रहा है, उसको न्यूज लेटर के जरिये सामने लाया जाय.

(2) जिन कार्यालयों और संस्थाओं में 'संपर्क' न्यूज लेटर पहुँचेगा, वहां उसको एक फाइल के रूप में व्यवस्थित ढंग से संधारित किया जाय और उसका आदिवासियों तथा स्टाफ के लिए अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाय.

(3) न्यूज पेपर में क्षेत्र की प्रमुख आदिवासी बोली में भी जानकारी रहेगी. कृपया आप ऐसी व्यवस्था करावें, जिससे कि किसी दिन गाँव में किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्र कर आदिवासियों को प्रकाशित जानकारी पढ़कर सुनाई और समझायी जाय. वहां की बोली के जानकार इस अवसर पर स्थानीय विस्तार अधिकारी/कर्मचारी तथा आदिवासियों के मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध रहें, तो ज्यादा उपयोगी होगा. इस व्यवस्था से आदिवासियों के सवालों और उनकी शंकाओं पर वहीं पर समाधान हो जायेगा. कृपया गाँव में वहां की बोली के जानकार दो व्यक्तियों को इस हेतु नामांकित करें. ये सरकार और गैर सरकारी दोनों प्रकार के हो सकते हैं.

कृपया इस बारे में अधीनस्थ, अधिकारियों/कर्मचारियों एवं संस्थाओं को भी अपने स्तर से संसूचित करें.

संलग्न :—न्यूज लेटर की रूप रेखा

हस्ता./-
(उदय कुमार वर्मा)
आयुक्त,
आदिवासी विकास मध्यप्रदेश.

कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/प्रचार/संपर्क/2000/15470 भोपाल, दिनांक 27 जून, 2000

प्रति,

कलेक्टर,

.... (म. प्र.)

विषयः— विभागीय न्यूज लेटर 'संपर्क' का वितरण एवं आदिवासियों में सूचना-संप्रेषण हेतु उपयोग की व्यवस्था.

आदिवासी विकास के संदर्भ में आम आदिवासियों तक योजनाओं और उपलब्धियों आदि की जानकारी सतत् रूप से संप्रेषित करने तथा फील्ड स्तर पर कार्यरत पंचायतों और अमले के साथ जीवंत संवाद की स्थिति कायम करने के लिए आदिवासी विकास विभाग की ओर से इस कार्यालय द्वारा 'संपर्क' के नाम से एक न्यूज लेटर का प्रकाशन प्रारंभ किया जा रहा है. यह न्यूज लेटर हिन्दी के साथ-साथ प्रदेश की पाँच आदिवासी बोलियों यथा भीली-हल्बी, कुडुख, गोंडी और कोरकू में भी छपेगा. न्यूज लेटर को आम आदिवासियों तक योजनामूलक जानकारी और मार्गदर्शन पहुंचाने का एक सहज सुलभ माध्यम से बनाने का प्रयास रहेगा. इस प्रयोजन के लिए अनपढ़ और कम पढ़े-लिखे लोगों को फुर्सत के समय किसी एक स्थान पर एकत्र करके किसी व्यक्ति द्वारा उनकी बोली से छपी जानकारी पढ़कर सुनाई जायेगी :—

2. सूचना संप्रेक्षण की यह महत्वपूर्ण जवाबदारी आदिवासी क्षेत्रों के पढ़े-लिखे लड़के-लड़कियों को सौंपी जा सकती है. ये पढ़े-लिखे युवा हाट-बाजारों, चौपालों या अन्य उन स्थानों पर जहाँ आदिवासी इकट्ठे होते है, उन्हें न्यूज लेटर की सामग्री पढ़कर सुना सकेंगे. शिक्षक ग्राम सेवक समिति सेवक या अन्य कर्मचारी भी इस जिम्मेदारी का निर्वाह भलीभांति कर सकते है. आदिवासी क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं/सुविधाओं को लेकर सूचना का जो संकट अनुभव किया जा रहा है, इस व्यवस्था के जरिए उसको समाप्त किया जा सकेगा. सूचना संप्रेषण के इस क्रम के चलते जिला स्तर पर ऐसी व्यवस्था भी की जानी चाहिए, जिससे कि इसके जरिए आम आदिवासियों की अपेक्षाएं एवं प्रतिक्रियायें भी जिला स्तर से राज्य स्तर पर पहुँचाने की स्थिति बन सके.

3. माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव ने न्यूज लेटर के लिए जो संदेश प्रदान किये है. उनमें उन्होंने इससे काफी अपेक्षाएं की हैं और उसको महत्वपूर्ण भी माना है. अत: विभाग न्यूजलेटर के वितरण और उपयोग के संबंध में एक सुविचारित व्यवस्था लागू करना जरूरी है, जिससे कि इस प्रकाशन के पीछे निहित उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके. इस हेतु फिलहाल जिला स्तर पर निम्नांकित दो कार्यवाहियाँ तत्काल की जानी आवश्यक है :—

1. न्यूज लेटर की प्रति जिले में सभी शालाओं, समस्त आश्रम, छात्रावासों, विभागीय कार्यालयों, संभागायुक्त कार्यालय के अधिकारियों, कलेक्टर कार्यालय के अधिकारियों, जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों, जिला/संभाग मुख्यालय स्थित समाचार पत्रों/पत्रकारों, जिले के सांसद और विधायकों को दी जानी है. कृपया उपरोक्तानुसार एक पत्रक के रूप में जानकारी माह जुलाई 2000 के अंत तक भिजवायें कि जिले को कुल कितनी प्रतियों की आवश्यकता होगी. व्यक्ति एवं संस्था को केवल एक-एक प्रति दी जायेगी. जिला स्तर पर संबंधितों तक प्रति पहुचाने की व्यवस्था विभाग के जिला कार्यालय द्वारा होगी.

2. न्यूज लेटर में प्रकाशित जनोपयोगी जानकारी को पढ़कर लोगों को सुनाना, न्यूज लेटर के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य है. अतएव, कृपया पैरा 2 में उल्लेख के अनुसार 15 अगस्त 2000 के पूर्व दो-दो ऐसे लड़के/लड़कियों/व्यक्तियों की पहचान करें जो गाँव में फुर्सत के समय एकत्र लोगों को क्षेत्र की आदिवासी बोली में छपी जानकारी पढ़कर सुना सकें और उनके द्वारा पूछे गये सवालों के जवाब उसी समय अथवा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी/कार्यालय से प्राप्त करके अगली बार दे सकें.

4. यह कार्य सतत रूप से चलना जरूरी है. इसकी जाँच-परख के लिए कृपया जिले के सभी अधिकारियों और विस्तार कर्मचारियों को अपने स्तर से निर्देश भी जारी करें कि वे जब भी दौरे पर जाय, न्यूज लेटर की मदद से सूचना संप्रेषण के कार्य के बारे में गाँव वालों और पंच/सरपंच आदि से जानकारी अवश्यक प्राप्त करें. विभाग के जिला अधिकारियों को आप निर्देश देवें कि वे अपने मासिक अर्द्ध शासकीय पत्र में इस संबंध में भी अपनी प्रतिक्रिया दें.

हस्ता./-

आयुक्त,

आदिवासी विकास मध्यप्रदेश.